कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)
Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

---

क्रमांक / मा.चि. / 22 / 10393 ग्वालियर दिनांक 15 / 10 / 2022

प्रति,

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र ग्वालियर

विषय—ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।
(**Proposal No.:** FP/MP/TRANS/150916/2022)

संदर्भ—1—तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6—एम.पी.बी.025 / 2022—बी.एच.ओ. / दिनांक 17.08.2022

2—प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (भू—प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ—4 / 14 / 2022 / 10—11 / 2953 दिनांक 24.08.2022

3—आवेदक विभाग एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड जबलपुर का पत्र क्रमांक / MP/Pkg II/F&WL/250 दिनांक 26.08.2022

4—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 22 / 9348—49 दिनांक 07.09.2022

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / मा.चि. / 22 / 9348—49 दिनांक 07.09.2022 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा आपको लेख किया गया था कि तकनीकी अधिकारी (वानिकी), भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक / 6—एम.पी.बी.025 / 2022—बी.एच.ओ. / दिनांक 17.08.2022 से ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत आवेदक विभाग एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड जबलपुर को उपयोग पर देने हेतु प्रस्ताव में 01 लगायत 07 तक बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। जिसके बिन्दु क्रमांक—07 के परिपेक्ष्य में आवेदक विभाग से सम्पर्क साधकर प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन के नीचे औषधीय / बौनी प्रजाति के औषधीय रोपण योजना तैयार कर 03 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक उक्त चाही गई जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है जो बड़े खेद का विषय है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आवेदक विभाग से सम्पर्क साधकर औषधीय रोपण योजना तैयार कर तत्काल इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में उक्त बिन्दु की पूर्ति की जाकर आगामी कार्यवाही की जा सके।

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव) 14.10.22
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर
दिनांक 15 / 10 / 2022

पृ0 क्रमांक / मा.चि. / 10394
प्रतिलिपि —

आवेदक विभाग एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी. पावर ट्रांसमिशन पैकेज—।। लिमिटेड, विजय नगर जबलपुर की ओर इस कार्यालय के पृ0 क्रमांक 9349 दिनांक 07.09.2022 के संदर्भ में भेजकर लेख है कि आप वन परिक्षेत्राधिकारी ग्वालियर से सम्पर्क साधकर औषधीय रोपण योजना तैयार करावे। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर